बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों की राज्यस्तरीय मासिक बैठक दिनांक–08.08.2016 की कार्यवाही।

1. उपस्थितिः– पंजी के अनुसार।

2. बैठक को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संबोधित किया गया। उपस्थित सभी पदाधिकारियों को विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु भू–अर्जन/अधिग्रहण कार्य की महत्ता को रेखांकित करते हुए निर्धारित समय–सीमा के भीतर निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

3. राज्य अंतर्गत चल रही विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण में सम्मिलित एवं तदनुसार हस्तांतरित की जानेवाली सरकारी भूमि के संबंध में उपस्थित अधियाची विभाग/प्राधिकार/निकाय के सभी पदाधिकारियेां को सरकारी भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु पुनः निदेश दिया गया। साथ ही, ऐसी सरकारी भूमि के हस्तांतरण की कार्रवाई भी शीघ्र सुनिश्चित करने का निदेश प्रधान सचिव महोदय द्वारा दिया गया।

4. निदेशक, भू–अर्जन, बिहार द्वारा सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अधियाची विभाग/प्राधिकार/निकाय से भूमि अर्जन/अधिग्रहण हेतु अधियाचना बिहार भू–अर्जन नियमावली–2014 में दिये गये निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार किया जाय। साथ ही, अधियाची विभाग से अधियाचना आवेदन के साथ–साथ अंतरिम भू अर्जन की प्राक्कलित राशि प्राप्त करने के उपरान्त ही भू–अर्जन/अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ किया जाय।

5. अधियाची विभाग द्वारा विधिवत अधियाचना समर्पित करने के तुरंत बाद जिला स्तर पर समिति गठित कर यह जांच कर लिया जायेगा कि अधियाचना अधिनियम तथा बिहार भू–अर्जन नियमावली–2014 के प्रावधानों एवं अधियाचना हेतु नियमावली में दिये गये विहित प्रपत्रों के अनुसार समर्पित किया गया है या नहीं?

6. सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अधियाची विभाग की तरफ से अधियाचना समर्पित करनेवाले पदाधिकारी के संबंध में यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उक्त परियोजना हेतु अधियाची विभाग/प्राधिकार द्वारा अधियाचना समर्पित करने हेतु उन्हें नामित/प्राधिकृत किया गया है या नही? अधियाचना आवेदन में अन्य वांछित कागजातों के साथ परियोजना का प्रशासनिक स्वीकृति तथा बजट उपबंध की प्रति अवश्य संलग्न रहनी चाहिए, ताकि यह ज्ञात हो सके कि अधियाची विभाग द्वारा उक्त परियोजना हेतु भू अर्जन की राशि का उपबंध किया गया है अथवा नही?

7. अधिग्रहित भूमि के हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान के संबंध में निदेशक, भू अर्जन द्वारा सभी जिला भू अर्जन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि कोषागार से राशि चालान द्वारा निकासी की जायेगी, लेकिन प्रत्येक रैयत/भू–धारीवार ट्रेजरी चेक नहीं काटा जायेगा। प्रभावित मौजों में शिविर का आयोजन कर RTGS के माध्यम से मुआवजा भुगतान किया जाएगा।

8. सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को पुनः स्पष्ट किया गया कि 80 प्रतिशत पंचाट/आवार्ड का प्रावधान पुराने अधिनियम एवं नये अधिनियम किसी में भी नहीं किया गया है। बल्कि अवार्ड हमेशा 100 प्रतिशत का ही होता है। अतएव मुआवजा भुगतान शत–प्रतिशत सुनिश्चित किया जाय। तदोपरान्त आवार्ड की कार्रवाई पूर्ण माना जायेगा।

9. पुराने भू अर्जन के मामले में बिना सक्षम प्राधिकार के स्तर से दर/प्राक्कलन की स्वीकृति एवं पंचाट गठन अथवा मुआवजा भुगतान नहीं किया जायेगा। जिन परियोजनाओं के भू अर्जन के मामलों में 31.12.13 तक पंचाट घोषित नहीं किया गया है उन मामलों में भू अर्जन अधिनियम–2013 की धारा–24(1)(a) के प्रावधान लागू होगा।

10. न्यायालय में राशि जमा करने के संबंध में विभाग स्तर से पत्रांक–1020 दिनांक–19.08.2016 द्वारा सभी समाहर्त्ता, बिहार को संसूचित किया गया है। यदि रैयतों द्वारा राशि लेने से इन्कार किया जाता है तो कोषागार (ट्रेजरी) में राशि जमा न करते हुये रेफरेन्स कोर्ट/प्राधिकार में राशि जमा करने हेतु निदेश दिया गया है।

11. सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अर्जनाधीन/अधिग्रहित भूमि के मालिकाना हक विवाद (Title) के मामले में सिविल कोर्ट/प्राधिकार में अधियाची विभाग को पक्षकार बनाते हुए संबंधित हितबद्ध रैयतों के मुआवजा भुगतान की राशि न्यायालय में जमा करने का आदेश न्यायालय से प्राप्त की जाए। साथ ही, निर्माण कार्य प्रारंभ करने की अनुमति न्यायालय से प्राप्त करने के संबंध में निदेश दिया गया।

12. विभिन्न परियोजनाओं का एस0आइ0ए0 संस्थान द्वारा किये जा रहे एस0आइ0ए0 अध्ययन कार्य हेतु अधियाची विभाग से प्राप्त भू अर्जन की प्राक्कलित राशि में से एस0आइ0ए0 की शुल्क की 50 प्रतिशत राशि संबंधित संस्थान को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। एस0आइ0ए0 नोटिफिकेशन के बाद एस0आइ0ए0 अध्ययन कार्य पूरा हो जाने के उपरांत अवशेष 50 प्रतिशत राशि संबंधित संस्थान को भुगतान किया जाएगा।

13. बैठक में उपस्थित सभी राज्य एस0आइ0ए0 संस्थान के प्रतिनिधियों को निदेशित किया गया कि रामाहर्ता स्तर से एस0आइ0ए0 हेतु प्राप्त भू–अर्जन प्रस्ताव के लिए तैयार किये गये टी.ओ.आर. तथा एस0आइ0ए0 शुल्क संबंधी प्रतिवेदन को समीक्षा हेतु भू–अर्जन निदेशालय को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

14. प्रधान सचिव महोदय द्वारा RFCTLARR Act–2013 की धारा–24(1) एवं (2) के प्रावधानों के संबंध में सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को जानकारी पुनः दी गई तथा उनके द्वारा उठाये गये प्रश्नों का समाधान तथा निराकरण हेतु मार्गदर्शन दिया गया।

15. जिला भू–अर्जन पदाधिकरी, भोजपुर द्वारा वर्तमान समय में पुराने अधिनियम के तहत प्रारंभ मामलों में किये जा रहे मुआवजा भुगतान के संबंध में प्रधान सचिव के द्वारा उन्हें हितबद्ध भू–धारियों को शत–प्रतिशत मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया गया।

16. मुआवजा भुगतान के संबंध में सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि अवार्ड घोषित करने के उपरांत शत् प्रतिशत मुआवजा भुगतान हितबद्ध रैयतों को किया जाए। तदोपरांत ही अर्जनाधीन भूमि का दखल कब्जा प्राप्त किया जायेगा।

17. विभिन्न परियोजनाओं के भूमि अधिग्रहण की स्थिति यथा–दर निर्धारण/प्राक्कलन स्वीकृति/पंचाट गठन किस स्तर पर प्रक्रियाधीन है, को एम0आइ0एस0 पर अद्यतन करने हेतु सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया।

18. यह भी निदेश दिया गया कि जिन भू अर्जन के पुराने मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा नये अधिनियम के तहत अधिसूचना निर्गत करने की कार्रवाई हेतु आदेश पारित किया गया हो, उन मामलों में एस0आई0ए0 अध्ययन की कार्रवाई की आवश्यक नहीं मानते हुए सीधे धारा–11 एवं 19 के तहत अधिसूचना/अधिघोषणा निर्गत किया जाय एवं तदोपरांत दर निर्धारण/प्राक्कलन की स्वीकृति एवं पंचाट गठन की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

19. सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि नोटिस देने के बावजूद भी यदि हितबद्ध रैयतों द्वारा मुआवजा भुगतान की राशि प्राप्त नहीं किया जा रहा हो तो उस स्थिति में संबंधित रैयतों का मुआवजा राशि प्राधिकार में जमा कर दी जाय।

20. प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि जिन पुराने भू–अर्जन के मामलों में दर निधारर्ण/प्राक्कलन की स्वीकृति/अवार्ड गठन के पश्चात मुआवजा भुगतावन अथवा वास्तविक भुगतान की कार्रवाई दिनांक–31.12.2013 तक नहीं हुआ है तो उन मामलों में RFCTLARR Act–2013 की धारा–24 (2) के तहत कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

21. राज्य अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के निर्माणार्थ लीज नीति के तहत विभिन्न अधियाची विभाग द्वारा लिए जा रहे भूमि पर अधियाची विभाग स्टाम्प डयूटी के तहत लिए जा रहे राशि के संबंध में विभाग के स्तर से निबंधन विभाग, बिहार को पत्र प्रेषित करने हेतु प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया।

22. NHAI एवं रेलवे से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं हेतु, राज्य सरकार द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णय के तहत, संशोधित प्राक्कलन के संबंध में विभाग स्तर से NHAI एवं रेलवे को पत्र भेजने एवं अवगत कराने हेतु निदेश दिया गया। साथ ही, सभी CALA को प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया है कि संशोधित प्राक्कलन स्वीकृति हेतु समाहर्ता के माध्यम से NHAI को प्रस्ताव प्रेषित किया जाय। CALA अपने स्तर से संशोधित प्राक्कलन की स्वीकृति नहीं देंगें।

23. प्रधान सचिव महोदय द्वारा बैठक में उपस्थिति NHAI के उपस्थिति पदाधिकारियों को निदेश दिया गया की संशोधित प्राक्कलन के आलोक में मुआवजा भुगतान करने हेतु CALA को NHAI अपने स्तर से भी पत्र प्रेषित करे।

24. सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि संशोधित प्राक्कलन का NHAI स्तर से स्वीकृति के उपरांत प्रभावित मौजों में कैम्प लगाकर हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

25. प्रधान सचिव महोदय द्वारा बैठक में उपस्थिति NHAI के उपस्थिति पदाधिकारियों को निदेश दिया गया की जिस भूमि पर दखल कब्जा NHAI को प्राप्त हो गया हो तो निमार्ण कार्य शीघ्र शुरू किया जाय।

26. सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मुआवजा भुगतान के अनुपात में स्थापना व्यय की राशि कटौती की जाय।

27. कतिपय जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों द्वारा विभाग/सरकार स्तर से सीधे पत्राचार किये जाने के संबंध में निदेशक, भू–अर्जन द्वारा सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को पुनः निदेश दिया गया कि विभाग स्तर से सीधे पत्राचार नहीं किया जाय बल्कि समाहर्त्ता के माध्यम से पत्राचार किया जाय।

28. NHAI के उपस्थिति पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि एन0एच0–2 परियेाजना के तहत जिन जिलों में/जिन स्थानों पर निर्माण कार्य NHAI द्वारा शुरू किया गया है उन स्थानों पर अतिकमण हटाने हेतु संबंधित समाहर्ता को NHAI अपने स्तर से पत्र प्रेषित करेंगें। साथ ही, NHAI के पदाधिकारी एवं CALA को संयुक्त रूप से चयनित स्थान पर अतिकमण हटाने हेतु तिथि एवं समय का निर्धारण करने हेतु निदेश दिया गया।

29. एन0एच0ए0आई0 से संबंधित चल रही विभिन्न परियोजनाओं के भू–अर्जन तथा मुआवजा भुगतान के कार्यों के प्रगति की समीक्षा सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के साथ की गई।

30. बैठक में रेलवे अधिनियम–1989 के तहत अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि का निर्धारण एवं भुगतान के संबंध में तथा रेलवे से संबंधित चल रही विभिन्न परियोजनाओं के भू–अर्जन कार्यों के प्रगति की समीक्षा सभी जिला भू अर्जन पदाधिकारियों के साथ की गई।

31. भू–अर्जन से संबंधित माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर प्रथम अपील, सी0 डब्लू0 जे0 सी0, एल0पी0ए0, इत्यादि मामलों का निष्पादन हेतु वांछित कार्रवाई ससमय पूरा करने का निदेश सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/प्रभारी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को पुनः दिया गया। बैठक में इस तथ्य से भी अवगत कराया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर विभिन्न वादों में पारित न्यायादेश का अनुपालन ससमय किया जाय। न्यायादेश का अनुपालन में विलंब होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सरकार के विरूद्ध अवमाननावाद याचिकाकर्त्ताओं द्वारा दायर किये जाते हैं। फलस्वरूप सरकार स्तर पर अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न होती हैं तथा राजकीय कोष का अपव्यय भी होता है।

32. जन शिकायत एवं सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत् लंबित मामलों को यथाशीघ्र निष्पादन करने का निदेश सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों/प्रभारी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को दिया गया।

33. विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाअें के भूमि अर्जन से संबंधित लंबित मामलों एवं तत्संबंधी बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में इस पर की जाने वाली कार्रवाई की सूची संलग्न है।

सधन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक, भू–अर्जन।

D:\Pappu\Niranjan ji\2016\Proceeding\Proceeding_08-08-2016.doc

ज्ञापांकः–14 / डी.एल.ए.बैठक (जि0भू0अ0पदा0 कार्यवाही)–19 / 11–1049 / पटना, दिनांक–31-08-16

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. विकास आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग / प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
8. प्रमंडलीय आयुक्त, पटना / भागलपुर / मुंगेर / मगध / पुर्णियां / कोसी / सारण / तिरहुत / दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
9. सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
10. सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
11. सभी समाहर्त्ता / सभी अपर समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
12. सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी / CALA को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
13. मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी (निर्माण), पूर्व मध्य रेलवे, महेन्द्रूघाट, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
14. उप मुख्य अभियंता / नि0 / भूमि / महेन्द्रूघाट, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
15. प्रबंधक (मानव संसाधन), एन.टी.पी.सी. बाढ़, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
16. उप महाप्रबंधक (एस0टी0), पावरग्रीड कॉरपोरेशन, द्वितीय तल, अलंकार पैलेस, बोरिंग रोड, पटना–800001 को सूचनार्थ प्रेषित।
17. कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय जल विधुत पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, विधुत भवन–II, बेली रोड, पटना।
18. उप मुख्य अभियंता / निर्माण, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
19. उप मुख्य अभियंता, गंगा ब्रीज, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
20. अधीक्षण अभियंता, एस0एस0बी0 मुख्यालय, रूकनपुरा, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
21. परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, डी0–63, श्री कृष्णापुरी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
22. प्रबंधक, (तकनीकी), पी0आई0यू0, एन0एच0ए0आई0, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
23. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निगम, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
24. निदेशक, एल0 एन0 मिश्रा आर्थिक अध्ययन एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना / ए0 एन0 सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना / चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना एवं आद्री, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

31/8/16

निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–14 / डी.एल.ए. बैठक (जि0भू0अ0पदा0 कार्यवाही)–19 / 11–1049/1 पटना, दिनांक–31-08-2016

प्रतिलिपिः–आप्त सचिव, माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

31/8/16

निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–14 / डी.एल.ए. बैठक (जि0भू0अ0पदा0 कार्यवाही)–19 / 11–1049/2 पटना, दिनांक–31-08-2016

प्रतिलिपिः–आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय बेव साइट पर यथास्थान शीध्र प्रकाशनार्थ प्रेषित।

31/8/16

निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।